फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

हीरी ..... बनाम प्रकाश व अन्य .....

केस मुकदमा आदेश 88,53,188 नम्बर 167/2011.....सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06.08.2018	पत्राावली पेश हुई। पेरोकार सरकार उपस्थित । वादीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित । पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि दिनांक 10.1.2014 प्रतिवादी संख्या 2 से 4, 6 से 19 की तलबी हेतु वादीयॉ/वकिल वादिया को नोटिस प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्यात दिनांक 27.7.2018 को भी नोटिस तलबाना पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद पेश नही किए गए । इस बीच इन्हे कई अवसर प्रदान किये जा चुके है। वादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 10.1.14 के पश्चात लगभग चार वर्ष छ माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 10.01.2014 की पालना नही कि गई है। इसके बावजूद भी वादीयॉ द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है ना ही नियमित रूप से जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हो रहे है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पेरोकार सरकार के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 10.1.14 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 27.718 के बावजूद चार वर्ष छ माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे वादीयॉ एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है ना ही वादीयॉ एवं उनके अधिवक्ता नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकरण के बाबत उपस्थित हो रहे है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः वादीयॉ का वादपत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner